

(भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

11 अप्रैल, 2022

नई दिल्ली, दिनांक -----

21 चैत्र, 1944 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज जैन के स्थान पर श्री पंकज शर्मा (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

रिंग रोड, नई दिल्ली